निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक 1939 (श0)

संख्या 43 पटना, बुधवार,

25 अक्तूबर 2017 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-5
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	6-6
पूरक	---
पूरक-क	7-8

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

परिवहन विभाग

अधिसूचना

16 अक्तूबर 2017

सं0 02/शमन–07(A)/2015 परि०–5272—पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना के पत्रांक–1828 दिनांक 21.09.2017 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को पूर्व की अधिसूचना संख्या–1906 दिनांक 20.04.2017 की समाप्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 17.10.2017 से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। षमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्रं०सं०	पदाधिकारियों का नाम	कार्य क्षेत्र
1	2	3
1.	सभी परिचारी यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
2.	परिचारी प्रवर यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
3.	पुलिस निरीक्षक यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
4.	सभी पुलिस अवर निरीक्षक, यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र

2. यह आदेश दिनांक 17.10.2017 की तिथि से लागू होगा।

3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूली की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामले के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 16th October 2017

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**08/2016**-4262 (अनु0)—WHEREAS, It is alleged that **Sri Mahendra Prasad, S/o Late Kameshwar Prasad, the then Head Clerk DM Office, Vaishali, Address - Vill. - Uprawan, P.S. - Kashichack, Distt. - Nawada, Present Address Mohalla-Mahavir Colony Near Anjan Peer Chowk, Ward No. - 3, P.S. - Towan Hajipur, Hajipur, District - Vaishali,** while holding the post of **Sri Mahendra Prasad, the then Head Clerk DM Office Vaishali,** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence of under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. **Case No. 70/2015 dated 31.08.2015.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of **Sri Mahendra Prasad, S/o Late Kameshwar Prasad the then Head Clerk DM Office, Vaishali** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar

(Sd.) Illegible, *Principal Secretary.*

————————

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 16th October 2017

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**09/2016-4264** (अनु0)—WHEREAS, It is alleged that **Sri Satya Narayan Mahto, S/o Late Babu Lal Mahto, the then Superintending Enginer, Building Construction Circle (Retired) Muzaffarpur, Village-Bhairokhara, P.S. - Tajpur, District - Samastipur,** while holding the post of **Sri Satya Narayan Mahto, Late Babu Lal Mahto, the then Superintending Enginer, Building Construction Circle (Retired) Muzaffarpur,** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence of under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. **Case No. 18/2015 dated 03.03.2015.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of **Sri Satya Narayan Mahto, S/o Late Babu Lal Mahto the then Superintending Enginer, Building Construction Circle (Retired) Muzaffarpur** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar

(Sd.) Illegible, *Principal Secretary.*

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं
18 अगस्त 2017

सं0 8 / सी0बी0आई0–80–05 / 2017–गृ0आ0–6715—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम–1946 (1946 का अधिनियम–25) की धारा–6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, भागलपुर कोतवाली (तिलकामांझी) थाना कांड सं0–494 / 17, भागलपुर कोतवाली (तिलकामांझी) थाना कांड सं0– 499 / 17, भागलपुर कोतवाली (तिलकामांझी) थाना कांड सं0– 500 / 17, भागलपुर कोतवाली (तिलकामांझी) थाना कांड सं0– 505 / 17, भागलपुर कोतवाली (आदमपुर) थाना कांड सं0–508 / 17, भागलपुर कोतवाली (तिलकामांझी) थाना कांड सं0– 512 / 17, भागलपुर कोतवाली (तिलकामांझी) थाना कांड सं0– 513 / 17, भागलपुर कोतवाली (तिलकामांझी) थाना कांड सं0– 514 / 17, भागलपुर कोतवाली (तिलकामांझी) थाना कांड सं0–517 / 17 सभी धारा 409 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120बी0 / 34 भा0द0वि0 एवं सहरसा जिला अन्तर्गत सदर थाना कांड सं0–850 / 17, दिनांक 17.08.2017 धारा 406 / 409 / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120बी0 भा0द0वि0 जो भागलपुर एवं सहरसा में सरकारी बैंक खातों से जालसाजी एवं षडयंत्रपूर्ण तरीके से सरकारी राशि के अवैध हस्तानांतरण एवं दुरूपयोग से संबंधित है, के अनुसंधान / पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को समूचे बिहार राज्य में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति देते हैं ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

The 18th August 2017

No. 8/C.B.I-80-05/2017 HP-6715—In exercise of the powers conferred under section-6 of the Delhi Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Governor of Bihar is pleased to accord his consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar to the members of Delhi Special Police Establishment to investigate / supervise and inquire into the Bhagalpur Kotwali (Tilkamanjhi) P.S. Case No. 494/2017, Dated 07.08.2017, Bhagalpur Kotwali (Tilkamanjhi) P.S. Case No. 499/2017, Dated 07.08.2017, Bhagalpur Kotwali (Tilkamanjhi) P.S. Case No. 500/2017, Dated 08.08.2017, Bhagalpur Kotwali (Tilkamanjhi) P.S. Case No. 505/2017, Dated 10.08.2017, Bhagalpur Kotwali (Adampur) P.S. Case No. 508/2017, Dated 11.08.2017, Bhagalpur Kotwali

(Tilkamanjhi) P.S. Case No. 512/2017, Dated 12.08.2017, Bhagalpur Kotwali (Tilkamanjhi) P.S. Case No. 513/2017, Dated 12.08.2017, Bhagalpur Kotwali (Tilkamanjhi) P.S. Case No. 514/2017, Dated 12.08.2017, Bhagalpur Kotwali (Tilkamanjhi) P.S. Case No. 517/2017, Dated 13.08.2017 all u/s 409/420/467/ 468/471/120B/34 I.P.C and Saharsa Sadar P.S. Case No. 850/17, Dated 17.08.2017 u/s 406/409/419/420/467/468/471/120B I.P.C. which are related to illegal transfer and misuse of funds from Government Bank Accounts in Bhagalpur and Saharsa in fraudulent & conspiratorial manner.

By order of the Governor of Bihar,
RANJAN KUMAR SINHA, *Additional Secretary.*

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 32—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि

सूचना

No. 1302—I, SHILPI D/o Vinod Kumar Sinha R/o A/201 Ramanand Apartment, Anandpuri, West Boring Canal Road, Patna vide affidavit no. 3635 dated 31.08.17 shall be known as Shilpi Sinha for all future purposes.

Shilpi.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 32—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

18 अक्तूबर 2017

सं0 कौन/भी–126/95–368/सी—श्री हरेन्द्र कुमार सिन्हा, सेवानिवृत वाणिज्य–कर पदाधिकारी, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, कटिहार के कार्यकाल में जिला सांख्यिकी कार्यालय, कटिहार के स्थापना से रू. 8,65003 (आठ लाख पैसठ हजार तीन रूपये मात्र) की अवैध निकासी की गयी।

2. इस अवैध निकासी के लिए श्री सिन्हा के विरूद्ध कटिहार नगर थाना काण्ड संख्या–502/95, दिनांक 18.12.1995 दर्ज किया गया। जिसके कारण श्री सिन्हा को लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का दोषी मानते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया। अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए अधिसूचना ज्ञापांक–1274, दिनांक 22.06.1999 द्वारा निलंबित किया गया। तत्पश्चात् श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') गठित करते हुए संकल्प ज्ञापांक–1400/सी, दिनांक 20.07.1999 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित बताया गया। परंतु कटिहार नगर थाना काण्ड संख्या–502/95 दिनांक 18.12.1995 दर्ज होने एवं उसका न्याय–निर्णय सेवानिवृत्ति की तिथि, दिनांक 29.02.2000 तक प्राप्त नहीं होने के कारण निर्णय नहीं हो सका। सेवानिवृत्ति की तिथि तक निर्णय नहीं होने के कारण संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के तहत् सम्परिवर्तित कर दिया गया।

4. श्री सिन्हा के विरूद्ध दर्ज कटिहार नगर थाना काण्ड संख्या–502/95 दिनांक 18.12.1995 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2017 को न्याय–निर्णय पारित किया गया, जिसमें श्री सिन्हा को दोषमुक्त बताया गया।

5. न्याय–निर्णय पारित होने के उपरांत श्री सिन्हा द्वारा न्याय–निर्णय की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन के माध्यम से आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया। माननीय न्यायालय से प्राप्त न्याय–निर्णय के दृष्टिपथ में जिला पदाधिकारी, कटिहार से सहमति/असहमति की अपेक्षा की गयी। परंतु जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा सहमति/असहमति से संबंधित कोई भी मंतव्य नहीं दिया गया।

6. जिला पदाधिकारी, कटिहार से मंतव्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माननीय न्यायालय से प्राप्त न्याय–निर्णय के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं:–

(क) श्री हरेन्द्र कुमार सिन्हा, सेवानिवृत वाणिज्य–कर पदाधिकारी को निलंबन मुक्त करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है।

(ख) श्री हरेन्द्र कुमार सिन्हा की निलंबन अवधि, दिनांक 22.06.1999 से दिनांक 29.02.2000 (सेवानिवृत्ति की तिथि), तक को कर्तव्य अवधि मानते हुए सभी प्रयोजनार्थ विनियमित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अजीत कुमार राम, उप–सचिव।

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

Office Order

The 14th October 2017

No. II -01/2002-3733—In the light of proposal received from Collector, Arwal (letter no. 91Dated 01/09/2017.) power of certificate officer has been delegated to Sri Vikas Kumar (BAS), District Transport Officer, Arwal for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 26/09/2017

By Order,

(Sd.) Illegible, Secretary to Commissioner.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 32—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in